न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ़ जिला–अलवर
(पीठासीन अधिकारी सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 01/44/2017 ऑनलाईन नम्बर:–2017/00086 प्रवेश तिथि–05.05.20217

1. रामधन पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राहम्ण।
2. कल्याण सहाय पुत्र श्री बाला सहाय जाति ब्राहम्ण।
3. कन्हैया लाल पुत्र मूल चन्द जाति ब्राहम्ण।
4. रामजीलाल पुत्र मूल चन्द जाति ब्राहम्ण।
5. श्यामलाल पुत्र मोहन लाल जाति ब्राहम्ण।
6. गोबिन्द नारायण पुत्र मोहल लाल जाति ब्राहम्ण निवासीयान बिरकडी तहसील राजगढ़ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।

..........वादीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र सुजाराम उर्फ सूजा जाति गुर्जर निवासी बिरकडी तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।
2. तहसीलदार राजगढ वर्तमान तहसीलदार टहला जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 रा0का0अ0 1955
उपस्थित:– श्री भूपेन्द्र शर्मा एड0–वादी
पैरोकार सरकार
दिनांक 13/01/2025

—:निर्णय:—

1. आज यह दावा तकसीम आराजी का वास्ते निर्णय पेश हुआ। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा दावा तकसीम आराजी का इस न्यायालय में पेश कर निवेदन किया कि हाल आराजी खाता संख्या 667 खसरा संख्या 359/2440/0.20 है0 वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर में अवस्थित है। उपरोक्त विवादीत आराजी वादी संख्या 01 रामधन 1/4 हिस्सा का, वादी संख्या 2 कल्याण सहाय 1/8 हिस्सा का, वादीगण 3 लगायत 6 कन्हैयालाल, रामजीलाल, श्यामलाल, गोविन्दनारायण समान भाग 1/8 हिस्सा का काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी को लेकर आपस में काश्त को लेकर मुताविक हिस्से को लेकर तनाजा रहता है और यदि प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी। इसलिए वादीगण मुतनाजा आराजी को अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी तकसीम कराकर खाता पृथक–पृथक किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावें। अन्त में दावा वादी डिक्री फरमाने का निवेदन किया।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलव किया गया। पैरोकार असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। प्रतिवादी संख्या 1 रामसिंह बाद सुचना तामील उपस्थित नही उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील वादी की ओर से प्रकरण में प्रारंभिक डिक्री किया जाकर कुर्रेजात रिपोर्ट तलव करने पर सहमति दी गई। हस्व सहमति वकील वादी पर दावा वादी प्रारम्भिक डिक्री जारी कि गई। एवं TDR टहला से कुर्रेजात रिपोर्ट तलव हेतु तहरीर जारी की गई।

3. प्रकरण में तहसीलदार टहला के पत्र क्रमांक/भू0अ0/2022/4079 दिनांक 11.11.2022 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। बहस वकील वादी की सुनी गई। दौरान–ए–बहस वकील वादी द्वारा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट पर दावा डिक्री करने पर सहमति जाहिर की।

4. मैनें पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी सम्वत 2069–72 खाता संख्या 667 वाके ग्राम बिरकड़ी तहसील राजगढ़ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर के अंकित इन्द्राज से मुतनाजा आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी होना साबित है। कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार द्वारा समस्त खातेदारान को नोटिस दिया जाकर रिपोर्ट तैयार की गयी है। रिपोर्ट अनुसार समस्त खातेदारान में मुताबिक जमाबंदी हिस्सा बटँवारा किया है तहसीलदार टहला द्वारा प्रेषित की गई रिपोर्ट से वकील वादी भी सन्तुष्ट है। वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा वादी डिक्री फरमाने का निवेदन किया। अतः हस्ब सहमति वकील वादी के हस्ताक्षर आदेशिका पर कराए गए। दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. प्रकरण तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा में तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जो इस प्रकार है–

प्रथम– स्वामित्व एवं कब्जाः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय– सुविधा का सन्तुलनः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय– अपूरणीय क्षतिः– प्रकरण में बाद तकसीम पृथक–पृथक खातें का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते है। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह–काश्तकार पृथक–पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नही है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करें या आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

6. अतः हाल सह–काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाना उचित है। अतः

रामधन बनाम रामसिंह
मुकदमा संख्या--01/44/2017
निर्णय दिनांक--13.01.2025

आदेश है कि

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी आराजी खाता संख्या 667 खसरा संख्या 359/2440/0.20 है0 वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार टहला के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है--

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	1. रामधन पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राहम्ण वगै0 सा0 देह खातेदार	359/2440	0.10
		कुल किता--1	कुल रकबा 0.10
		कुल किता--1	कुल रकबा 0.02
2	रामसिंह पुत्र सूजा जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार	359/2440	0.10
		कुल किता--1	कुल रकबा 0.10

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक--पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को बाद तकसीम अपने पृथक--पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद--रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रेजात दिनांक 11.11.2022 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। तहसीलदार टहला इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावें।

निर्णय आज दिनांक 13/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया।
पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेख भण्डार हो।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला--अलवर

सत्यमेव जयते
राजगढ़, जिला अलवर

रामधन बनाम रामसिंह
मुकदमा संख्या–01/44/2017
निर्णय दिनांक–13.01.2025

न्यायालय

उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर राजगढ जिला–अलवर

(पीठासीन अधिकारी सुश्री रीमा खेतान आर.ए.एस.)

वाद संख्या :– 01/44/2017 ऑनलाईन नम्बर:–2017/00086 प्रवेश तिथि–05.05.20217

1. रामधन पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राहम्ण।
2. कल्याण सहाय पुत्र श्री बाला सहाय जाति ब्राहम्ण।
3. कन्हैया लाल पुत्र मूल चन्द जाति ब्राहम्ण।
4. रामजीलाल पुत्र मूल चन्द जाति ब्राहम्ण।
5. स्यामलाल पुत्र मोहन लाल जाति ब्राहम्ण।
6. गोबिन्द नारायण पुत्र गोहल लाल जाति ब्राहम्ण निवासीयान बिरकडी तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।

.......वादीगण

बनाम

1. रामसिंह पुत्र सुजाराम उर्फ सूजा जाति गुर्जर निवासी बिरकडी तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर।
2. तहसीलदार राजगढ वर्तमान तहसीलदार टहला जिला अलवर।

.... प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53,188 रा0का0अ0 1955
उपस्थित:– श्री भूपेन्द्र शर्मा एड0–वादी
पैरोकार सरकार

–:पर्चा डिक्री:–

दिनांक 13/01/2025

दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा हाल आराजी *हाल आराजी* आराजी खाता संख्या 667 खसरा संख्या 359/2440/0.20 है0 वाके ग्राम बिरकडी तहसील राजगढ वर्तमान तहसील टहला जिला अलवर *के अनुसार डिक्री किया जाता है। आराजी विवादित का पक्षकारान में निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है–*

क्र. स.	नाम खातेदार	खसरा संख्या	रकबा (है0)
1	1. रामधन पुत्र श्रीनारायण जाति ब्राहम्ण वगै0 सा0 देह खातेदार	359/2440	0.10
		कुल किता–1	कुल रकबा 0.10
2	रामसिंह पुत्र सूजा जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार	359/2440	0.10
		कुल किता–1	कुल रकबा 0.10

उक्तानुसार पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण को वाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नही करने एवं आमद–रफत में मजाहमत उत्पन्न नही करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। नक्शा कुर्रेजात दिनांक 11.11.2022 निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। साथ ही तहसीलदार टहला इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

पचा डिक्री आज दिनांक 13.01.2025 को तैयार की गई।

(सुश्री रीमा खेतान आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं देवेन्द्र कुमार मीना (नाम) तहसीलदार राजगढ़, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ के आदेश कमांक 402 दिनांक 02-11-2021 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 7/11/22 समय 11.00 बजे आराजी खसरा नम्बर- 359/2440 वाके ग्राम बिरकड़ी पटवार हल्का बिरकड़ी पर श्री अशोक कुमार मीणा व महेन्द्र कुमार ओला ~~नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक~~ / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ में विचाराधीन प्रकरण संख्या- 01/44/2017 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक 3814-81 दिनांक 2/11/2022 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	रामधन	श्रीनारायण	85	ब्राह्मण	वादी
2.	कन्हैयालाल	मूलचंद	55	ब्राह्मण	वादी
3.	नाथु	कल्याणसहाय	50	ब्राह्मण	वादी
4.	मनोज	रामस्वरूप	40	ब्राह्मण	वादी
5.	श्यामलाल	मोहनलाल	32	ब्राह्मण	वादी
6.	गोविन्द नारायण	मोहनलाल	30	ब्राह्मण	वादी
7	रामसिंह	भूराराम गुर्जर	55	गुर्जर	प्रतिवादी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

खसरा	रकबा	किस्म	लगान
359/2440	0.20 हे0	बंजड़	0.40.

पक्षकार (1)

रामधन पुत्र श्रीनारायण जाति - ब्राह्मण निवासी सा. देह बिरकड़ी

359/2440 मि0	0.10 हे0	बंजड़	0.20

पक्षकार (2)

~~रामसिंह पुत्र भूरा जाति - गुर्जर सा. देह खरेड़ा~~

359/2440 मि0	0.10 हे0	बंजड़	0.20

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1.	रामधन	श्रीनारायण	ब्राह्मण	रामधन	वादी
2.	विनोद	नाथूराम	ब्राह्मण	-	वादी का सुपुत्र
3.	कन्हैयालाल	मूलचंद	ब्राह्मण	-	वादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
1.	विनोद	नाथूराम	32	ब्राह्मण	वादी का सुपुत्र (कमलेश S/o व कन्हैया)
2.	कन्हैयालाल	मूलचंद	55	ब्राह्मण	वादी
3.	मनोज	रामजीलाल	40	ब्राह्मण	वादी का पुत्र
4.	श्यामलाल	~~गोविंद नारायण~~ मोहनलाल	82	ब्राह्मण	वादी
5.	गोविंदनारायण	मोहनलाल	80	ब्राह्मण	वादी
6.	रामसिंह	सुजाराम	55	गुर्जर	प्रतिवादी

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/. मोबाईल नं..
1.	विजय	रामबाबू	31	ब्राह्मण	9602370221 Vijay Tiwari
2.	नवीन	गोकुल	22	ब्राह्मण	— नवीन कुमार

इस प्रकार आज दिनांक .... को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

07/11/22

हस्ताक्षर पटवारी
(महेश कुमार ओला)
पटवारी (भू.अ.)
प० ह० .... मं.
तह० राजगढ़ (अलवर)

07/11/2022

हस्ताक्षर
भू. अ. निरीक्षक
वृत..........

हस्ताक्षर
ना. तह.
....

हस्ताक्षर
तहसीलदार
तहसीलदार
टहला (अलवर)
....

नक्शा तितम्मा
ग्राम - बिलेटी
तह. - टहला
जिला - अलवर (राज.)

मौका नक्शा

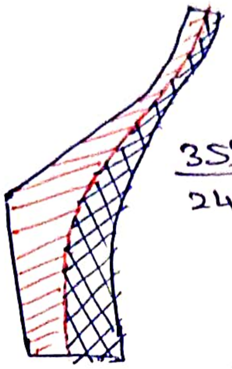

(लाल तिरछी रेखाएँ) रामधन पुत्र श्रीनारायण जाति - ब्राह्मण कब्जा हा. 0.36 हे

(जालीदार) रामसिंह पुत्र सुजाराम उर्फ सुजा जाति - गुर्जर - 0.36 हे

पक्षकार (1) रामधन पुत्र श्रीनारायण शर्मा   रामधन शर्मा

पक्षकार (2) हस्ताक्षर नहीं किए।

07/11/2022

हीरा कुमार आला
पटवारी (कृ.क्षे.)
प० ह० ...बिलेटी...
तह० राजगढ़ (अलवर)

तहसीलदार
टहला (अलवर)

गवाह
(1) विजय पुत्र रामबाबू शर्मा
(2) नवीन पुत्र गोकुल शर्मा

Vijay Joshi
नवीन शर्मा